बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सकारण आदेश

विषय :– पथ प्रमंडल, बाँका अंतर्गत क्रियान्वित "सुल्तानगंज से दुम्मा कच्ची काँवरिया पथ के कि०मी० 0.70 से कि०मी० 83.35 में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मति, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला दौरान पथ का अनुरक्षण कार्य वर्ष 2024–25 के संवेदक को बिहार संवेदक निबंधन नियमावली 2007 के अंतर्गत दण्ड स्वरूप कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :– 1) बिहार संवेदक निबंधन नियमावली–2007 के तहत विभागीय
(i) पत्रांक–659(E), दिनांक–27.01.2025 से कारण पृच्छा
(ii) विभागीय पत्रांक–515(E), दिनांक–22.01.2025
(iii) विभागीय पत्रांक–357(E)we, दिनांक–15.01.2025
2) संवेदक का पत्रांक–NIL दिनांक–23.01.2025 से स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषयांकित कार्य का एकरारनामा सं०–02/SBD/2024–25 का संपादन संवेदक
M/S Balkrishna Bhelotia Cons. Pvt. Ltd.से की गई थी। इस कार्य का एकरारनामा राशि रू० 5.22 करोड़
है। इस कार्य का जाँच प्रतिवेदन–सह–मंतव्य के साथ निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ
निर्माण विभाग के पत्रांक–414(अनु०), दिनांक–13.09.2024 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध
कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन के विषयांकित कार्य में घोर अनियमितता प्रकट होती है। जाँच प्रतिवेदन
की प्रति संवेदक को भी उपलब्ध कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कार्य में 18494.459 cum
गंगा बालू का उपयोग किया गया है जबकि मात्र 4515.33 cum बालू का सत्यापित चालान ही उपलब्ध
कराया गया है। अग्रतर जाँच प्रतिवेदन में अंकित की गई है कि बची हुई मात्रा का रॉयल्टी वसूल कर
लिया जाएगा।

बिहार सरकार द्वारा खनिज पदार्थों का गैर अधिकारिक उपयोग एवं राजस्व की क्षति को
बचाने हेतु खनन् विभाग द्वारा दिशा निर्देश निर्गत है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक द्वार
खनिज का अवैध खनन कर राजस्व में भारी क्षति करने का प्रयास किया गया है।

संवेदक से उक्त कदाचार हेतु प्रसंगाधीन तीन पत्रों से कारण पृच्छा की गई। संवेदक को
कारण पृच्छा के साथ जाँच प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया है। कारण पृच्छा में संवेदक को अपना
स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने एवं नियमावली के तहत कदाचार हेतु दण्ड की प्रकृति एवं अवधि भी सूचित
की गई है।

संवेदक द्वारा उपरोक्त प्रसांगिक पत्र (2), जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–27.01.2025 क
प्राप्त है, के द्वारा अपनी स्थिति बताई गई है। संवेदक द्वारा जिक्र किया गया है कि जाँच प्रतिवेदन
उनके विरूद्ध किसी भी कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई है। साथ ही उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन
अनुलग्नकों की मांग की गई है।

यह कार्य SBD के तहत संवेदक से एकरारीत है। अतः कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों को निर्धारि
विष्टियों के साथ उपलब्ध कराना/करना संवेदक का ही कार्य है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि
बड़ी मात्रा का सत्यापित चालान संवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। संवेदक द्वारा अवैध प्रयु
खनिज के उपयोग किये जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन स्मार के पश्चात् भी विभाग
समर्पित नहीं किया गया।

(92)

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत मामले में एकरारनामा एवं ... हित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक हेतु बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 की कंडिका–11(क)(ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सह–पठित ज्ञापांक–5403(एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 के उपकंडिका–1(d) के आलोक में संवेदक बालकृष्ण भलोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई थाना के निकट, जमुई–811307, मोबाईल नं०–9771687921 (निबंधन सं०–1230031 दिनांक–20.03.2023) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांकः– प्र०–7/विविध–04–88/2024 /पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– संवेदक बालकृष्ण भलोटिया कन्सट्रक्शन प्रा0, लि0, जमुई बाजार, जमुई थाना के निकट, जमुई–811307, मोबाईलनं0–9771687921 (निबंधन सं0–1230031 दिनांक–20.03.2023), E-mail ID-balkrishna.bhalotia@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांकः– प्र०–7/विविध–04–88/2024 /पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांकः– प्र०–7/विविध–04–88/2024 748(E) /पटना, दिनांक– 30/01/25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/उर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/2025

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।